न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक

(श्री सुभाष चन्द शर्मा,आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी उनियारा द्वारा अध्यासित)

दावा संख्या :– 133/2015

निर्णय दिनांकः– 29.2.2016

उनवान

1.मदनलाल पुत्र मूंदडा जाति मीना निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
2.बलराम पुत्र मूंदडा जाति मीना निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक

– वादीगण

बनाम

1.सैयद नसीब अली पुत्र श्री सैयद युसुफ अली जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तह0 उनियारा
2.शहादत अली पुत्र श्री उस्मान अली जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तह0 उनियारा
3.शहजादी पुत्री उस्मान अली जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तह0 उनियारा
4.निसार अली पुत्र श्री गुलाम अली जाति मुयलमान निवासी शोप तहसील उनियारा
5.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थितः– श्री पी0सी0जैन, वकील वादी न0 1
श्री एस0के0धाकड वकील प्रतिवादी न0 1 ता 4

निर्णय

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद के तथ्य संक्षिप्त में निम्न प्रकार हैः–

यह कि वादीगण के पिता ने साबिका ख0न0 272 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा जमीन वाके ग्राम पाटोली तत्कालीन खातेदार से दिनांक 12.3.58 को जरिये रजिस्ट्री 1000/– सिक्के कलदार खरीद किया जाकर मोके पर कब्जा प्राप्त किया था। तब से उक्त भूमि पर वादीगण के पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा था तथा उक्त वर्णित आराजी का लगान भी वादीगण के पिता ही जमा कराते ले आ रहे है। उक्त आराजी मे से 1/2 हिस्से को हरपाल पुत्र राधाकिशन मीना को सुपुर्द कर दिया गया तथा शेष आधे हिस्से पर वादीगण के पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा है। जो खसरा गिरदावरी सम्वत 203 से 2034 से भी स्पष्ट है। उक्त आराजी के हाल सेटलमेन्ट मे नये नम्बर 332 रकबा 1.61 है0 व 333 रकबा 1.32 है0 बने है। जिसमे वादीगण के पिता के हिस्से का नम्बर 332 रकबा .61 है0 बने है। वादीगण के पिता मूंदडा का देहान्त हो गया है, जिनके वादीगण ही जायज वारीसान कायम मुकामान है। उनके अलावा कोई अन्य वारिसान नही है। वादीगण के पिता की मृत्यु के पश्चात से आज तक आराजी ख0न0 332 रकबा .6 है0 वाके ग्राम पाटोली को वादीगण ही कब्जा काश्त करते चले आ रहे है। जिससे प्रतिवादीगण 1 ता 4 का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नही है। प्रतिवादी न0 1ता 4 के द्वारा हस्तान्तरण किये जो के असफल प्रयास किये जाने के कारण यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

यह की वादीगण की अधियाचना हैं कि यह घोषणा की जावे कि आराजी ख0न0 332 रकबा .61 है0 वाके ग्राम पाटोली तहसील उनियारा वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की है, जिसमे से प्रतिवादीगण ता 4 का नाम हटाया जाकर वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड मे अंकित किया जावे। प्रतिवादीगण 1 ता 4 को पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण की आराजी मे किसी प्रकार की कोई मजाहमत व मदाखलत नहीं करे।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ता 4 ने दिनांक 9.2.206 को इकबाली जवाब दावा व दोनों पक्षों ने राजीनामा पेश किया। पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। नकल जमाबन्दी सम्वत 2029–2032 वाके ग्राम पाटोली मे साबिक ख0न0 272 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा सय्यद महमूद अली व सय्यद अब्बास अली पीसरान मुबारक अली सा0 अलीगढ बहिस्सा बराबर खातेदार दर्ज है। वादीगण द्वारा बैनामा दिनांक 3.3.58 की छाया प्रति प्रस्तुत की है, जिसके अनुसार उक्त आराजी सय्यद महमूद अली पुत्र

Scanned by CamScanner

सैय्यद मुबारक अली ने मूंदडा वल्द धन्ना मीना साकिन मो पाटोली तहसील अलीगढ को बैचान करना पाया जाता है। नकल मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक आराजी ख0न0 272 ती. से हाल ख0न0 332 रकबा 1.61 व 333 रकबा 1.32 है0 कायम हुये है। नकल जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 वाके ग्राम पाटोली मे आराजी ख0न0 332 रकबा 1.61 है0 वादीगण के खातेदारी मे दर्ज है। ख0न0 333 रकबा 1.32 है0 घासीलाल पुत्र प्रेम, मनराज पुत्री प्रेम बिलासी ध0प0 स्व0 प्रेम जाति मीना सा0 देह खातेदार राहिन बै।क आफ बडोदा शाखा अलीगढ मूर्त. दर्ज है।

वादीगण ने अपने वाद पत्र मे अंकित किया है कि साबिका ख0न0 272 रकबा 11 बीघा 4 बिस्वा भूमि मे से आधे हिस्से को हरपाल पुत्र राधाकिशन मीना को सुपुर्द कर दिया गया तथा शेष आधे हिस्से पर वादीगण के पिता का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादीगण ने अपने वाद मे यह अंकित नही किया है कि वादग्रस्त आराजी मे से ख0न0 333 रकबा 1.32 घासीलाल पुत्र प्रेम, मनराज पुत्री प्रेम बिलासी ध0प0 स्व0 प्रेम जाति मीना सा0 देह की खातेदारी मे किस प्रकार दर्ज हुयी है। वादीगण ने इनको भी आवश्यक पक्षकार नही बनाया गया है, जिससे वादग्रस्त आराजी का बैचान व दूसरे की खातेदारी मे लगना स्पष्ट नही है। वादीगण ने क्लीन हेण्ड से वाद प्रस्तुत नही किया है।

उपरोक्त विवेचन से न्यायालय वादीगण के वाद को स्वीकार करना उचित नही समझता है। अतः वाद वादीगण खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 29.2.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सुभाषचन्द शर्मा
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी उनियारा

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उनियारा जिला टोंक
(डिकी मुकदमा इब्तदाई)

उनवान

1.मदनलाल पुत्र मूंदडा जाति मीना निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक
2.बलराम पुत्र मूंदडा जाति मीना निवासी पाटोली तहसील उनियारा जिला टोंक

— वादीगण

बनाम

1.सैयद नसीब अली पुत्र श्री सैयद युसुफ अली जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तह0 उनियारा
2.शहादत अली पुत्र श्री उस्मान अली जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तह0 उनियारा
3.शहजादी पुत्री उस्मान अली जाति मुसलमान निवासी अलीगढ तह0 उनियारा
4.निसार अली पुत्र श्री गुलाम अली जाति मुयलमान निवासी शोप तहसील उनियारा
5.तहसीलदार तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज व स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नम्बर :— 133 वर्ष 2015

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री सुभाष चन्द शर्मा आर0ए0एस0 ब हाजरी श्री पी0सी0जैन जैन वकील वादीगण मिनजानिब मुद्दइ व श्री एस0 के0 धाकड वकील प्रतिवादी न0 ता 4 मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण खारिज किया जाता है। फरीकेन खर्च अपना अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 29 माह 02 सन् 2016 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा जिला टोंक

Scanned by CamScanner